प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 09.05.2025**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, लूटी हुई पीली धातु की 01 चैन व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 08.05.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग के दौरान 5/6 की पुलिया के पास सर्विस रोड़ वैशाली कट की ओर से एक एक्टिवा पर सवार एक व्यक्ति तेजी से आता दिखायी दिया। जिसे चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया तो स्कूटी सवार एक दम से बायीं तरफ मुड़कर तेज गति से भागने लगा। शक होने पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा स्कूटी का पीछा किया और रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी सवार व्यक्ति ने भागते हुये पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और स्कूटी आगे फिसलकर गिर गयी बदमाश ने स्वयं को घिरा देख पुलिस टीम पर पुनः जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई जिससे बदमाश गायल हो गया। घायल अभियुक्त साहिल वर्मा पुत्र राजेश वर्मा निवासी फ्लैट नम्बर 461 सेक्टर 03 ब्लाक एफ वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी-गोल मार्केट के पास थाना हापुड देहात जनपद-हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, लूटी हुई पीली धातु की 01 चैन व चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार कर अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसका साथी अमित जो ग्राम खोडा में किराये पर रहता हैं। दोनों अभियुक्त मिलकर मोटर साइकिल/स्कूटी बदल-बदल कर चैन व फोन लूट की घटना करते हैं। इसीक्रम में दोनों अभियुक्तों ने मिलकर करीब 9-10 दिन पहले मैक्स अस्पताल सेक्टर 01 वैशाली के सामने सडक पर जा रही महिला के गले से 01 चैन छीनी थी। इसके अगले दिन एक्सप्रेस अपार्टमेन्ट सेक्टर 04 वैशाली के पास से सडक पर जा रहे एक व्यक्ति के हाथ से 01 मोबाइल फोन छीना और छीने हुए मोबाइल को चलते-फिरते व्यक्ति को मजबूरी बताकर 2,500/- रूपये में बेच दिया। बरामद स्कूटी अभियुक्त उपरोक्त ने करीब 08-09 माह पूर्व पहले अरूणा पार्क दिल्ली से चोरी की थी। इसी स्कूटी से आज अभियुक्त उपरोक्त अकेला चैन बेचने के लिये इन्दिरापुरम जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

साहिल वर्मा पुत्र राजेश वर्मा निवासी फ्लैट नम्बर 461 सेक्टर 03 ब्लॉक एफ वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी-गोल मार्केट के पास थाना हापुड देहात जनपद-हापुड उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

बरामदगी का विवरण 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, लूटी हुई पीली धातु की 01 चैन व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल वर्मा पुत्र राजेश वर्मा उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी,लूट,आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जारही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 06 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 09.05.2025 को समय 12.10 AM पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 06 वर्षीय पुत्री जो कि संडे बाजार पंचशील पार्क अपने भाई के साथ खेल रही थी, शाम को घर लौटते समय बच्ची अपने भाई से बिछड़ गयी। जिसको आसपास काफी तलाश किया गया परन्तु बच्ची की कोई जानकारी नहीं हो सकी।

उक्त सूचना प्राप्त होते ही थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बच्ची की तलाश करना शुरू किया। जिसके क्रम में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम दिनांक 09.05.2025 को ही गुमशुदा बच्ची को सकुशल तलाश कर उसके परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों द्वारा क्रॉसिंग पुलिस टीम का धन्यवाद किया और बच्ची को पाकर परिजनों में खुशी का माहौल है।

बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 08.05.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश निवासी म0सं0 डी-105 मच्छी मार्केट न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को वजीराबाद रोड़ 80 फुटा कट के सर्विस रोड़ शालीमार गार्डन के पास से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में कि अभियुक्त उपरोक्त नशा करने वाले लोगों अवैध गांजा बेचता है। बरामद गांजे का अभियुक्त उपरोक्त से लाइसेंस मांगा गया तो अभियुक्त दिखा नही पाया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र राकेश निवासी म0सं0 डी-105 मच्छी मार्केट न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।